न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. /2016 निग्रा - 553 - III - 16

मजबूत सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, आयु 57 वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी - ग्राम कबीर खेडी, परगना व जिला शिवपुरी म.प्र.

.... आवेदक

विरूद्ध

1. माना पुत्र श्री कोलाराम चिडार, आयु 60 वर्ष, निवासी - ग्राम कबीरखेडी परगना व जिला शिवपुरी म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र वास्ते अनुपस्थिति में निराकृत किये गये प्रकरण क्र. 1471-तीन/14 व उन्वान मजबूत सिंह विरूद्ध माना आदि आदेश दिनांक 28.01.16 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को बिना सुने पारित किये गये आदेश को रिकॉल किये जाने हेतु।

महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -

1. यह कि, वर्तमान निगरानी को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.14 को सुनवाई हेतु ग्राहय किया जाकर अनावेदक को सूचना जारी की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड तलबी तथा यथास्थिति का आदेश पारित किया।
2. यह कि, प्रकरण कई दिनांको पर माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्र.1 की उपस्थित हेतु नियत होता रहा परन्तु अनावेदक क्र. 1 उपस्थित नही हुए।
3. यह कि, चूंकि अनावेदक उपस्थित नही हुआ था इस कारण आवेदक द्वारा बोर्ड डायरी से प्रकरण की आगामी दिनांक नोट कर ली गई तथा दिनांक 28.01.16 को आवेदक अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय मे व्यस्त होने के कारण वक्त सुनवाई उपस्थित नही हो सके लंच पश्चात जब आवेदक अभिभाषक द्वारा डायरी मे तारीख देखी गई तो रीडर द्वारा बताया कि फाईल साहब के पास है। आपस एक दो दिवस बाद आकर देख लेना तत्पश्चात दिनांक 01.02.16 को आवेदक अभिभाषक द्वारा पुनः न्यायालय मे आकर फाईल के संबंध मे पूछा तो कहा गया कि फाईल अभी स्केन/कम्प्यूटर रूम मे है जिसके उपरांत दिनांक 03.02.16 को आवेदक अभिभाषक द्वारा म.प्र. राजस्व मण्डल की बेबसाईट पर जाकर प्रकरण के संबंध मे देखा तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.01.16 को प्रकरण का निराकरण बिना आवेदक को सुने कर दिया है जबकि आदेश मे

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

प्र.क्रं. रेस्टो 553-III/16 जिला शिवपुरी

मजबूत सिंह विरुद्ध माना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4/3/16	–आवेदक मजबूत सिंह द्वारा यह आवदेन पत्र उसकी अनुपस्थिति में निराकृत किये गये प्र.क्रं. 1471–3/14 आदेश दिनांक 28.1.2016 को पुनः नं. पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। –आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि दिनांक 28.1.2016 को आवेदक के अभिभाषक मान. उच्च न्यायालय में व्यस्त होने के कारण सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो सके उसकी अनुपस्थिति में प्रकरण का निराकरण किया गया है इसलिए प्रकरण को नंम्बर पर लेकर उसमें सुनवाई की जाय। –अनावेदक अभिभाषक द्वारा विरोध में यह तर्क दिया कि पूर्व प्रकरण में अनेक बार सूचना उपरांत भी आवेदक अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आने के उपरांत भी आवेदक धारा 250 की कार्यवाही विलम्ब कराने के आशय तथा सूचना उपरांत भी प्रकरण में तर्क हेतु उपस्थित न होने के कारण प्रकरण उसकी अनुपस्थिति में निरस्त किया गया। अतः अब प्रकरण को पुर्नस्थापित नहीं किया जाए। प्रकरण में पुर्नस्थापित का आवेदन केवल अधीनस्थ न्यायालय में धारा 250 की कार्यवाही विलंबित करने के आशय से प्रकरण पुर्नस्थापित करने का आवेदन दिया है। –उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क सुने तथा इस न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 20.5.2014 को ग्राह्य कर अभिलेख बुलाने एवं यथास्थिति	

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

--

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

प्र.क्रं. रेस्टो 553-III/16 जिला शिवपुरी

मजबूत सिंह विरुद्ध माना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	का आदेश दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख दिनांक 2.6.2014 को प्राप्त हो गया था उसके पश्चात् सूचना उपरांत भी आवेदक अभिभाषक अनुपस्थित रहे जबकि अनावेदक अभिभाषक निरंतर कार्यवाहियों की तिथियों में उपस्थित होते रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् भी केवल आवेदक उपस्थित न होने के कारण प्रकरण लंबित रहा है। दिनांक 28.1.2016 को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु निर्धारित था एवं दिनांक 28.1.2016 को आवेदक की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया के संबंध में पर्याप्त आधार प्रमाण सहित आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किए हैं। उक्त विवेचना के आधार पर पुर्नस्थापन का आवेदन स्वीकार करने का कोई समुचित आधार न होने से आवेदन निरस्त किया जाता है। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश	